वित्तीय स्वीकृति

संख्या : /XVIII-2/2016-10(26)/2016

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

<u>समाज कल्याण अनुभाग–2</u>

<u>देहरादून : दिनांक : 12 दिसम्बर, 2017</u>

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन योजनान्तर्गत **₹ 13.00 लाख (रुपये तेरह लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना की नियमावली (गाईड लाईन) के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा आहरित करके सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी सम्बन्धित दम्पतियों का सत्यापन करके पुरस्कार वितरण सामूहिक रूप से समारोहपूर्वक करेंगे। तत्पश्चात इसकी सूचना निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. अन्तर्धार्मिक विवाह के मामलों में शर्त यह होगी कि अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों का धर्म परिवर्तन नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि का उपभोगकर समयान्तर्गत उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
7. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
8. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
9. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य /लघु/उप तथा

विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या 15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

10. धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

11. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

12. अवमुक्त धनराशि आहरण–वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. व्यय करने के पूर्व जिस मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235–02–200–05 की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह बजट आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमेंट आई0डी0 संख्या–S1711150101 दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के द्वारा जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 890 /XVII–2/2017–10(26)/2016 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
4. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0 बेरी)
अनु सचिव।

Secretary, Social Welfare (S045)

DVII-2/17-10(26)2016

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण

200 - अन्य कार्यक्रम

05 - अन्तर्जातिय / अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (22350280005 से स्थानांतरित)

00 - k

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	1300000	1300000
	0	1300000	1300000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1300000